

कार्यालय आदेश सं- 208/2021

पूर्व मध्य रेल

रेल परिषद् के परिपत्र सं E(NGM)/2005/RC-4/SC/2 दिनांक 28.03.2020, 31.03.2020 एवं 31.03.2021 के निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फा0/227/9/चिकि/सीएल/10/08/सोन दिनांक 22.04.2021 के आलोक में COVID-19 महामारी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग के मंडल चिकित्सालय सोनपुर एवं उपमंडलीय चिकित्सालय गढ़हरा में सविदा के आधार पर अस्थायी रूप से 30 सितम्बर 2021 तक पास मंडीकल स्टाफ को इंगेज किये जाने हेतु online Interview (Zoom App) के माध्यम से दिनांक 27.04.2021 को किया गया एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों में से तत्काल आवश्यकतानुसार मेधाक्रम में निम्न अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित पद, पदस्थापना स्थल एवं मानदेय पर अस्थाई रूप से दिनांक 30.09.2021 तक नियोजित किये जाते हैं।

इनका मासिक पारिश्रमिक (Remuneration) एवं अनुमेय अन्य देय गता रेल परिषद् के परिपत्र सं 2017/Trans/01/policy/pt.1 दिनांक 12.04.2018 एवं महाप्रबंधक सं0 ECR/MRD/Med/Para Medical/contractual level/CH दिनांक 08.08.2018 के नियमानुसार देय होगा।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	चिकित्सा श्रेणी / प्रमाण पत्र सं0	सविदा पर पदनाम	पदस्थापना स्थल	मानदेय
01	GAURAV KUMAR	PRAVEEN KUMAR	06.04.1994	Fit in C1 (05/001400) dt. 30.04.21	स्टॉफ नर्स	मंडल चिकित्सालय सोनपुर	Rs. 44900/-+ नियमानुसार देय गता
02	NEELAN KUMARI	RAM SEWAK CHOUHARY	05.01.1987	Fit in C1 (05/001400) dt. 30.04.21	स्टॉफ नर्स	मंडल चिकित्सालय सोनपुर	Rs. 44900/-+ नियमानुसार देय गता
03	KUNSA RANI GUPTA	DINESH SAH	13.07.1990	Fit in C1 (05/001400) dt. 30.04.21	स्टॉफ नर्स	मंडल चिकित्सालय सोनपुर	Rs. 44900/-+ नियमानुसार देय गता
04	KANCHAN KUMARI	MAHESHWAR SAH	30.03.1997	Fit in C1 (10/00633) dt. 01.05.21	स्टॉफ नर्स	उप मंडलीय चिकित्सालय गढ़हरा	Rs. 44900/-+ नियमानुसार देय गता
05	PRITANNA KUMARI	RANGAL PRASAD	19.03.1995	Fit in C1 (09/00633) dt. 01.05.21	स्टॉफ नर्स	उप मंडलीय चिकित्सालय गढ़हरा	Rs. 44900/-+ नियमानुसार देय गता
06	RAGHWAN KUMAR PASWAN	17. RAM CHARITRA PASWAN	12.08.1997	Fit in C1 (07/001402) dt. 30.04.21	स्टॉफ नर्स	उप मंडलीय चिकित्सालय गढ़हरा	Rs. 44900/-+ नियमानुसार देय गता

कुल सं. नाम मात्र।

उपरोक्त अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों से शासित होंगे

- अनुबंध पदनाम ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 30.09.2021 तक की अवधि के लिए या रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि जो भी पहले हो, के अनुसार मान्य होगा।
- अनुबंध पूर्णतः अस्थाई होगा और कभी भी 15 दिन की पूर्व सूचना पर सेवा से हटाया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी तीन दिन से अधिक लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- सविदा/अनुबंध पर कार्यरत अभ्यर्थी को रेल आवास, अकाम, पास आदि की सुविधा देय नहीं होगी तथा वे भविष्य में रेल सेवा में समायोजन के लिए इस आधार पर कोई दावा नहीं कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी सभी नियम, इन सभी सविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(नोट-सभी संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना हेतु सीधे तौर पर उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापना स्थल में मुविधि/सोन एवं अमुचिधि/गढ़हरा के समक्ष 02 (दो) दिनों के भीतर दो पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ रिपोर्ट करें।)

उपरोक्त पदस्थापना पर मुचिधि/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

RAVI KUMAR PANDIT

(रवि कुमार पंडित)

सकाधि-11

कृते मरेप्र कार्मिक/सोनपुर

दिनांक-03.05.2021

सं0-का/227/9/चिकि/सीएल/10/08/सोन
प्रतिविधि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महाप्रबंधक/का0/हाजीपुर को सादर सूचनार्थ (02) मुख्य चिकित्सा निदेशक/हाजीपुर (03) मरेप्र/सोनपुर के निजी सचिव : मरेप्र0 महोदय के सादर सूचनार्थ।
- अमरेप्र-1 एवं अमरेप्र-11/सोनपुर का सूचनार्थ (05) मुचिधि/सोनपुर (06) वमविप्र/सोनपुर
- अमुचिधि/गढ़हरा-आप से आग्रह है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को उचित पहचान यथा (फोटो, हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अंगुठे का निशान) को अपने स्तर से सत्यापित करते हुए कार्यरत ग्रहण कराना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को को भी सूचित करें।
- श्री परशुराम जी/मुख्य कार्यवाही/बिल/बरोनी :- आप अपने स्तर से प्रत्येक संबंधित अभ्यर्थीका योगदान रिपोर्ट (फोटो, हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अंगुठे का निशान)सहित मिलान किया जाना सुनिश्चित करें एवं योगदान रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
- मंडलमंत्री, ईसीआरकेव्यू, अजा-अजजा एवंओबीसी एशा0 सोनपुरमंडल।

RAVI KUMAR

PANDIT

कृते मरेप्र कार्मिक/सोनपुर